बलात्कारी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

❍अच्युतानन्द पाठक 'आजाद', एडवोकेट

लखनऊ (ज.अ.)। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (सप्तम) लखनऊ शशि भूषण पाण्डेय ने एक वृद्धा के साथ बलात्कार करने वाले अपराधी को भारतीय दण्ड विधान की धारा 376 का अपराध सिद्ध होने पर दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष और अधिक सजा भुगतनी पड़ेगी।

संक्षेप में अभियोजन का केस था कि एक वृद्धा जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी जब 23.03.09 को दोपहर 2 बजे शौच के लिए गावं से बाहर गयी थी, तो छविनाथ ने बल पूर्वक उसको गिराकर उसके साथ बलात्कार किया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट माल थाने में अपराध संख्या 97/09 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अर्न्तगत दर्ज की गयी। इस प्रकरण में विवेचना के उपरान्त 4.01.10 को अभियुक्त के विरुद्ध चार्ज फेम किया गया जिसके अपराधी द्वारा इनकार करने पर साक्ष्य हेतु पी.डब्लू–1 के रुप में वादनी, पी.डब्लू–2 के रुप में मेडिकल करने वाली चिकित्सक डॉ. शारदा चौधरी, पी.डब्लू–3 के रुप में एस.आई राम अधार तथा पी.डब्लू–4 के रुप में सिपाही अब्दुल जाहिद खां को अधियोजन द्वारा पेश किया गया।

दिनांक 14.09.10 को अभियुक्त का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अर्न्तगत दर्ज करने के पश्चात् अभ्युवत की ओर से डी डब्लू–1 एवं डी.डब्लू–2 क्रमशः राम विलास तथा निर्मल सिंह ने अपना साक्ष्य दिया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला सरकारी अधिवक्ता ने जोरदार बहस करते हुए अभियोजन पक्ष के गवाहों एवं दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध करने की मांग की। ए.डी.जी.सी. द्वारा आगे यह भी बहस की गयी कि एक वृद्ध महिला के साथ अभियुक्त ने बलात्कार किया है जो अत्यन्त ही घृर्णित कार्य है इसलिए उसे दोष सिद्ध कर कड़ी सजा दी जाय।

अभियुवक की ओर से अधिवक्ता कु. रानू चन्द्रा तथा अधिवक्ता सपना वर्मा ने विद्वतापूर्ण बहस करते हुए बचाव पक्ष के गवाहान की इस बात पर जोर दिया कि एक ठेलिया का झगड़ा था जिसके कारण मेरे मुअक्किल को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अपनी बहस को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट और डॉ. के बयान का हवाला देते हुए कहा कि पी.डब्लू–2 ने बाहरी परीक्षण के संबंध में यह बयान दिया है कि ''जनरल कण्डीशन ठीक थी तथा आंतरिक परीक्षण के संबंध में कहा है कि ''प्राइवेट पार्ट पर किसी हिस्से में चोट नहीं थी, कोई डिस्चार्ज नहीं था'' परीक्षण में गोनोकोकोई अथवा शुक्राणु नहीं पाये गये थे तथा डॉ. ने अपनी राय में यह भी बताया कि बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। इसका अर्थ हुआ कि बलात्कार का आरोप पूरी तरह से गलत है इसलिए अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाय।

उभय पक्ष की दलील को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विद्धतापूर्वक विश्लेषित करते हुए विद्वान न्यायाधीश शशिभूषण पाण्डेय ने अपने निर्णय में बचाव पक्ष के इन तर्कों को कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, तहरीर के संबंध में विरोधाभाषी कथन है, ठेलिया के झगड़े के कारण यह झूठी रिपोर्ट लिखा दी गयी, मेडिकल रिपोर्ट और करने वाली डाक्टर के बयान आदि का तथ्यपरक फाइंडिंग रिपोर्ट की है। अपने विवेचना में विद्वान न्यायाधीश ने डाक्टर की राय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में वर्णित 'निश्चायक सूबूत' शब्द की परिभाषा के अर्न्तगत निश्चायक नहीं मानने तथा स्पर्माटोजोआ न पाये जाने के पक्ष में Prithvi Chand V/s State of Himachal Pradesh (1989) AIR SC 702 तथा Narayanamma V/s State of Karnataka (1994) 5 SCC 728 पर रिलायन्स प्लेस किया है जिसमें क्रमशः अवधारित किया गया है कि ''मात्र स्पर्माटोजोआ न पाये जाने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन केस गलत है'', ''स्पर्माटोजोआ न पाये जाने से पीड़िता के बयान को गलत नहीं माना जा सकता है।''

पीड़िता के पेटीकोट को परीक्षण के लिए विधिविज्ञान प्रयोगशाला विवेचक के द्वारा न भेजने के तर्क को खारिज करते हुए कहा Acharaparambath Praleepam V/s State of Kerla, 2007 (57) 293 (SC) तथा State of Punjob V/s Haleeme Singh 2005 (7) SCC 408 जिसमें स्पष्ट रुप से अवधारित किया गया है कि विवेचना में विवेचक द्वारा की गयी किसी भी अनियमितता को अभियोजन केस को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता का उदाहरण दिया है।

बलात्कार के मामलों में स्वतंत्र साक्षी को बहस करने का कोई अर्थ नहीं है उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय ने भी State pf Rajasthan V/s N.K. (2000) 5 SCC 30 तथा State of Himanchal Pradesh V/s Gian Chand, (2001) 6 SCC 7 में अवधारित किया है।

उच्चतम न्यायालय का फैसला B.C. Deva@Dyava V/s State of Karnataka (2007) 12 SCC 122 में माननीय न्यायमूर्ति आर.वी. रवीन्द्रन एवं न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांटा ने Ratio Decedendi निर्धारित की है—

"Rape-Oral evidence of prosecutrix if found to be cogent, reliable and trustworthy has to be accepted evn though medical examination of prosecutrix did not disclose any evidence of sexual assault."

आगे फैसले में लिखा है "On scrutiny of the evidence of the prosecutrix, it appears to us that the defence tried to build up a case that the prosecutrix is a consenting party to the sexual intercourse as she did not make any attempt to resist the accused from committing the offence nor the Doctors noticed any mark of injury on any part of her body. This plea of the accused, in our view, is wholly unfounded and baseless and it is falsified by the subsequent conduct of the prosecutrix, who as noticed above after the incident rushed to her mother and disclosed the entire episode to her and the prosecutrix emotionally and mentally felt so depressed and humiliated that she could not bear the insult and disrepute imprinted on her character and moral conduct by the cruel act of the accused."..... ....."The plea that no marks of ugh, the report of the injuries were found either on the person of the accused or the person of the prosecutrix, does not lead to any inference that the accused has not committed forcible sexual intercourse on the prosecutrix, Though, the report of the Gynaecologist pertaining to the medical examination of the prosecutrix does not disclose any evidence of sexual intercourse, yet even in the absence of any corroboration of medical evidence, the oral testimony of the prosecutrix, which is found to be cougent, reliable, convincing and trustworthy has to be accepted. Though, the FSL Report marked as Ex.C-1 pertaining to the undergarments of the accused and the victim did not contain any seminal stains, yet the said report cannot be given any importance because the underwear of the accused was taken into possession by the police on the next day of the incident when he was arrested. There is no evidence brought on record to show that the accused handed over the same under wear to the police, which he was wearing on the day of incident or he had handed over some other underwear which was seized under mahazer (Ex.P-5) by the police. The possibility of absence of seminal stains of petticoat of the prosecutrix which she was wearing at the time of the incident, could not be ruled ourt due to the fact that the petticoat got drenched in the water and the seminal stains might have been washed away.

प्रश्नगत फैसला पूरी तरह से उच्चतम न्यायालय इस केस से कवर्ड है तथा विद्वान न्यायाधीश को यह निर्णय सराहनीय है क्योंकि वृद्धा से बलात्कार करने वाले ऐसे घृणित अपराधियों को कठोर दण्ड मिलना ही चाहिए। ❑

"True peace is not the absence of tension it is the presence of justice."

खजाना

वकीलः बेटी जरा कानून की किताब लाना, बेटी किताब को चिमटे से पकड़कर ले आयी
वकीलः ये क्या कर रही हो?
बेटीः पापा आपने ही तो कहा था कानून हाथ में मत लेना।

....

जेलरः तुम्हे कल फाँसी दे दी जायेगी तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो।
कैदीः साहब मुझे पके आम खाने हैं।
जेलरः इस मौसम में पके आम कहाँ मिलेंगे उन्हें तो आने में काफी समय लगेगा।
कैदीः कोई बात नहीं साहब हम तब तक इंतजार कर लेंगे।

....

जजः तुम अपनी लिमिट क्रास कर रहे हो।
वकीलः कौन साला ऐसा कहता है।
जजः तुमने मुझे साला बोला।
वकीलः नहीं हुजुर मैने कहा कि कौन–सा–लॉ ऐसा कहता है।

पुलिस अफसरः बेटा तुम्हारा रेजल्ट अच्छा नहीं आया है आज से तुम्हारा खेलना और टी.वी. देखना बन्द।
बेटाः ये लो 50 रुपया पकड़ो और इस बात को यहीं दबा दो।